न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 12 / 2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2017 / 00066

वादी बनाम प्रतिवादीगण

भगाराम पुत्र जेठाराम
जाति मेगवंशी
निवासी गुदाबाड़ी (पाटोदी)
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

1.भूराराम पुत्र देवाराम जाति मेगवंशी
निवासी गुदाबाड़ी पाटोदी
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादी

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 28/07/2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा गुन्दाबाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 3938 व 3947 कुल क्षेत्रफल 12.0920 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 19.7.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसील पचपदरा से नवसृजित होकर तहसील पाटोदी बनने पर तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा गुन्दाबाड़ी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 3938 व 3947 कुल क्षेत्रफल 12.0920 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S... बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	भगाराम पुत्र जेठाराम जाति मेगवाल सा.देह खातेदार	गुन्दाबाड़ी	3938 3947	4.1278 1.9182	बा.सोयम बा.सोयम	3.05 1.42	A
2	भूराराम पुत्र देवाराम जाति मेगवाल,सा.देह खातेदार	गुन्दाबाड़ी	3938 3947	4.1278 1.9182	बा.सोयम बा.सोयम	3.05 1.42	B

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

28/07/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/07/2025

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 12/2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2017/00066

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भगाराम पुत्र जेठाराम जाति मेगवंशी निवासी गुदाबाड़ी (पाटोदी) तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.भूराराम पुत्र देवाराम जाति मेगवंशी निवासी गुदाबाड़ी पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः–53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :12/2017

निर्णय दिनांक :– 28.7.2025

वादी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 28.7.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.7.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/07/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	————
जोड़	———	जोड़	————

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा